संख्याः 1618/XXIV-3/10/02(115)05टी.सी

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3 देहरादून, दिनांकः 11 अक्टूबर,2010

विषयः वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुसूचित जाति उपयोजना (एस.सी.एस.पी) के अन्तर्गत चालू निर्माण कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सख्याः 5ख (2)/55330/एस0सी0 एस0पी0/2010–11; दिनांकः 31 अगस्त, 2010 के संबंध में तथा शा0सं0: 25/XXIV–3/06 दिनांकः 25.01.2006 एवं शासनादेश संख्याः 1597/XXIV–3/07/02(115)05 टी.सी. दिनांकः 21 नवम्बर, 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–2 में उल्लिखित विद्यालयों के भवन निर्माण कार्यो हेतु स्तम्भ–3 में अंकित पुनरीक्षित आगणन की औचित्यपूर्ण लागत पर वित्तीय एवं प्रशासकीय अनुमोदन प्रदान करते हुए स्तम्भ–4 में अंकित पूर्व में स्वीकृत धनराशि को समायोजित करते हुए स्तम्भ–05 में अंकित विवरणानुसार कुल रू0 43.83 (रूपये तिरालीस लाख तिरासी हजार मात्र) की धनराशि को प्रश्नगत योजनान्तर्गत शासनादेश संख्याः 1261/XXIV-3/10/02(10) 2010; दिनांकः 13 सितम्बर, 2010 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 250.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नांकित प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख रूपयो में)

क्र0 स0	विद्यालय का नाम	पुनरीक्षित आगणन की औचित्यपूर्ण लागत	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृति हेतु संस्तुत धनराशि
01	02	03	04	05
1	रा0इ0का0मेहरावना, देहरादून	102.37	83.43	18.94
2	रा0इ0का0क्वानुमंझगांव, दे0दून	88.83	78.72	10.11
3	रा0इ0का0 सावडा,दे0दून	94.38	79.60	14.78
	योग	285.58	241.75	43.83

1. उपर्युक्त विद्यालय के अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/बार्डो में स्थित होने पर ही धनराशि को व्यय किया जायेगा. उक्त कार्य के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0 475/XXVII (7)/2008 दि0 15.12.08 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम.ओ.यू. अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाय.

2. उक्त कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कराकर भवन विभाग को हस्तगत करा लिया गया सुनिश्चित किया जायेगा. विलम्ब के कारण किसी भी दशा में आगणन पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया जायेगा.

3. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का जो दरें शेड्यूल ऑफ रेटस में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हो की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता से अनुमोदन करना आवश्यक होगी। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

4. कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित का नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितना कि स्वीकृत नार्म है. स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6. एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।

7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

8. कार्य कराने से पूर्व स्थल की भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें निरीक्षण के पश्चात् स्थल पर आवश्यकतानुसार एवं प्राप्त निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

9. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय। एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

10. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग अवश्य करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जानी वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय। निर्माण सामग्री क्रय किये जाने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का कडाई से पालन किया जाए.

11. जी0पी0डब्लू फार्म 9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड़ वसूल किया जायेगा।

12. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 2047/XIV-219(2006) दिनांकः 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशो के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कडाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

13. निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐंजेन्सी उत्तरदायी होगी।

उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

2. इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–30 के अधीन लेखा शीर्षक–4202–शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय, 01–सामान्य शिक्षा, 202–माध्यमिक शिक्षा, 00–आयोजनागत, 02–अनु0सू0जा0 के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, 0201– अ0सू0जा0 बाहुल्य क्षेत्रों में रा0हा0इ0 कालेजों के भवनहीन भवनों का निर्माण, 24–वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्याः 290(P)X XVII(3)10-11, दिनाँकः 06 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुक्रम में जारी किये जा रहें है।

भवदीया,

/

(मनीषा पंवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1618/XXIV-3/10/02(115)05 टी.सी तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. अपर शिक्षा निदेशक,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
8. जिलाधिकारी, देहरादून।
9. कोषाधिकारी, देहरादून।
10. जिला शिक्षा अधिकारी, देहरादून।
11. वित्त अनुभाग–3/समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड सचिवालय।
12. बजट एवं राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर।
13. संम्बंन्धित निर्माण ऐजेन्सी (उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, देहरादून)
14. कम्प्यूटर सैल (वित्त विभाग) उत्तराखण्ड शासन
15. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जी0पी0तिवारी)
अनु सचिव।